



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन न. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

स्थापना आदेश संख्या - 13/2019

दिनांक : 12.07.2019

निम्नलिखित अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के आगे दर्शाये स्थान अनुसार स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है :-

S.No.	Name of the Officer(Shri/Smt/Ms.)	From	To
01.	VIKASH PAL, EA	ADMN./ET, CGST & CX(H), JAIPUR	PAYCELL/ACCTT./PENSION, CGST & CX(H), JAIPUR
02.	TEJPAL MAURYA, EA	PAYCELL/ACCTT./PENSION, CGST & CX(H), JAIPUR	ADMN./ET, CGST & CX(H), JAIPUR
03.	VARUN YADAV, TA	PAYCELL/ACCTT./PENSION, CGST & CX(H), JAIPUR	ADMN./ET, CGST & CX(H), JAIPUR
04.	GAJANAND SHARMA, TA	UOP	CGST & CX, DIV-F, JAIPUR
05.	TILAK SHARMA, LDC	ADMN./ET, CGST & CX(H), JAIPUR	PAYCELL/ACCTT./PENSION, CGST & CX(H), JAIPUR

उक्त आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

—हं—

(बी. एल. मीना)

संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)

फा.सं.: II-03(02)स्था./जेपीआर/मन्त्रा/2017/1156

दिनांक:- 15.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, अपर आयुक्त(सी.सी.ओ.), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
3. निजी सहा., अपर आयुक्त(कर अप.)/संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर।
4. उप/सहायक आयुक्त, के.व. एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, संभाग- F, जयपुर।
5. वेतन एवं लेखाधिकारी, के.व. एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर।
6. प्रशा. अधिकारी (मुख्यालय/डीडीओ)/के.व. एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर।
7. व्यक्तिगत प्रति/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड/सेवा पुस्तिका।
8. विभागीय वेबसाईट www.centralexcisejaipur.nic.in पर अपलोड हेतु।

श्री सीताशक्त, कि.

15/7

बी. एल. मीना

संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)